

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... स्टाफ्ड कोर्ट 14 SPD मुकाम..... बापु

..... आम्कारिण कोर्ट बनाम..... श्री राध कर्ण

किस्म मुकदमा..... 1 नं..... 113 सन् 2022
राजस्व आयेड,

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/04/2022 को पेश हो।	
21/04/2022	प्रार्थी वहील उपदिपत/विप्रार्थी गणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये, जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार दोउर पत्रावली दिनांक 04/07/2022 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बापु
04/07/2022	प्रार्थी वहील उपदिपत/विप्रार्थी की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार दोउर पत्रावली दिनांक-18/10/2022 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बापु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/10/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये ररिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवर्ड रसिदे प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी वाय्तु
जिला-वाडमेर

न्यायालय
क्रमांक : वाद / 2022 / 10

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022 1302

दिनांक : 18/10/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आम्बसिंह पुत्र मगनसिंह वगैरा 03,
जाति राजपुत, निवासी मलवा उत्तराद,
पटवार मण्डल चीबी,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. भौराराम पुत्र मालाराम वगैरा 12,
जाति जाट, निवासी मलवा उत्तराद,
पटवार मण्डल चीबी,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 113/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मलवा उत्तराद, पटवार हल्का - चीबी, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 183/19, 184/19 रकबा क्रमशः 5.1341, 2.5670 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
गिडा

क्रमांक : वाद/2022/ 1303-1307

प्रतिलिपि:-निम्न को सूच्यनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आम्बसिंह पुत्र मगनसिंह वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री भौराराम पुत्र मालाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु